मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 26/06/2023

कमांक–एफ–1–6/2021/बी–2/दो, श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे (1989) तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जे.एन.पी.ए. सागर के विरूद्ध केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट के संदर्भ में अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम–1969 के नियम–8(4) के अंतर्गत आरोप–पत्रादि दिनांक 24.02.2021 को जारी किए गए। श्री बनर्जी, भापुसे द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर समाधान कारक नहीं पाए जाने के कारण प्रकरण में राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त नियमित विभागीय जांच संस्थित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे (1989) तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जे.एन.पी.ए. सागर के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की जांच के लिए अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम–1969 के नियम–8(2) सहपठित नियम–8(6) के तहत माननीय श्री विरेन्द्र सिंह, माननीय न्यायाधिपति (से.नि.) को जांचकर्ता अधिकारी एवं उक्त नियम के सहपठित नियम–8(6)(सी) के तहत श्री अजय गुप्ता, भा.प्र.से. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह **विभाग को** प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करता है।

3/ उक्त प्रयोजन के लिए जांच हेतु मानदेय एवं सेवा शर्तें पृथक से जारी **की जावेंगी।**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

26/6/23
(अन्नू मलावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

पृ0क्रमांक एफ–1–6/2021/बी–2–दो **भोपाल दिनांक 26/06/2023**
प्रतिलिपिः–

1. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
2. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, पुलिस मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे (1989) तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जे.एन.पी.ए. सागर को पृष्ठांकित आदेश की प्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया श्री बनर्जी, भापुसे को उक्त आदेश की प्रति तामील कराई जाकर पावती इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
3. माननीय श्री विरेन्द्र सिंह, माननीय न्यायाधिपति (से.नि.) निवास– बी–503, बी.सी.एम. पार्क, पिपलिया कुमार निपानिया, इंदौर–452010 (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे (1989) तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जे.एन.पी.ए. सागर को जारी आरोप पत्रादि दिनांक 24.02.2021 की प्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया श्री बनर्जी, भापुसे के विरूद्ध जांच की कार्यवाही उपरान्त जांच प्रतिवेदन दो प्रतियों में इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।

– निरंतर –

4. श्री अजय गुप्ता, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया प्रकरण में नियुक्त जांचकर्ता अधिकारी से संपर्क स्थापित कर जांच की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करायें। श्री बनर्जी, भापुसे को जारी आरोप पत्रादि दिनांक 24.02.2021 की छायाप्रति संलग्न है। श्री बनर्जी, भापुसे को जारी आरोप पत्र के साथ संलग्न अभिलेख सूची में वर्णित अभिलेख प्राप्त कर जांच की कार्यवाही यथाशीघ्र प्रारंभ करायें।

5. श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे (1989) तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जे.एन.पी.ए. सागर द्वारा पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।

6. ऑर्डर बुक / स्टॉक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग